सत्यमेव जयते

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

संविधान दिवस आ नागरिकक मौलिक कर्तव्य

26 नवंबर 2019 – 26 नवंबर 2020

"अगर संविधान, सरकार द्वारा पालन कएल जाए वाला एक दस्तावेज मात्र अछि, तखन लोकतंत्रक नुकसान होयत, एहिदुआरे ,एकरा नीचा तक पहुँचबाक जरूरत अछि।"

नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री

भारत का संविधान

- भारतक संविधान एक मूलभूत कानून अछि, जे हमर देशक मूल राजनीतिक संरचनाकेँ देखबैत अछि। ई एक संघीय ढांचाक संग एक संसदीय लोकतंत्र आ एक गणतंत्रक स्थापना करैत अछि।
- भारतक संविधान हमर संस्थापक पिताक दृष्टि आ मूल्यक प्रतीक अछि। ई हुनक सोचक प्रतिनिधित्व करैत अछि—सामाजिक, राजनीतिक आ आर्थिक लोकाचार, विश्वास आ इच्छाशक्तिक।
- संविधान भारतीय गणराज्यक मुख्य अंगद्वकार्यपालिका, विधायिका आ न्यायपालिकाकेँ परिभाषित करैत अछि —आ ओकर शक्तिकेँ परिभाषित करैत अछि आ ओकर जिम्मेदारिक सीमांकन करैत अछि।
- भारतक संविधान प्रमुख विशेषता:
  - सरकारक संसदीय प्रणाली
  - संघीय संरचना
  - धर्मनिरपेक्ष राज्य
  - स्वतंत्र न्यायपालिका
  - मौलिक अधिकार आ कर्तव्य
  - राज्य नीतिक निर्देशक सिद्धांत
  - नागरिकता
  - वयस्क मताधिकार
- भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, रूस आदिक संविधान सँ प्रेरणा लैत दुनियाक सबसँ पैघ आ सबसँ विस्तृत संविधान अछि।
- संविधानमे 395 लेख, 22 भाग आ 12 अनुसूचियाँ शामिल अछि।

"भारतीयक लेल सम्मान आ भारतक लेल एकता

नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री

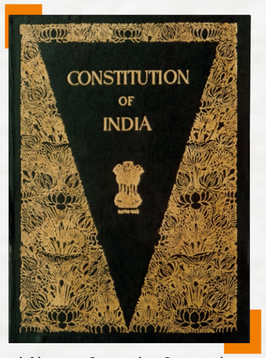

अंग्रेजीमे भारतक संविधानक सुलेख प्रतिक आवरण पेज

संविधानक मूल पांडुलिपि 16x22 इंच माप वाला चर्मपत्रों पर लिखल गेल छल, जेकर एक हजार सालक उम्र अछि। तैयार पांडुलिपिमे 251 पृष्ठ शामिल छल आ वजन 3.75 किलोग्राम छल।

संविधान सभा आ संविधानक निर्धारण

भारतक संविधान 1946 आ 1949 क बीच संविधान सभा (1946 क मंत्रिमंडल मिशन योजनाक तहत स्थापित) द्वारा तैयार कएल गेल छल। डॉ. राजेंद्र प्रसाद एहि निकायक अध्यक्षक रूपमे कार्य कएलन्हि।

विधानसभाक 299 सदस्य (15 महिला सहित) केँ संविधानक मसौदा तैयार करबामे तीन साल (1946-1949) सँ कम समय लागल।

संविधान सभाक सदस्य दिसंबर 1946 आ नवंबर 1949 क बीच 11 सत्रमे भेलै।

29 अगस्त 1947 केँ संविधान सभा द्वारा एक प्रारूपण संविधान तैयार करबाक लेल डॉ. बी. आर. अम्बेडकरक अध्यक्षतामे एक प्रारूपण समितिक गठन कएल गेल।

संविधान सभाक सत्र, दिसंबर 1946

"भारत आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकरजीक नेतृत्वमे एक समावेशी संविधानक मसौदा तैयार कैल। ई समावेशी संविधान नव इंडियाक निर्माणक संकल्पक अग्रदूत अछि। ई हमरा लेल किछु जिम्मेदारि लए कए आयल अछि आ हमरा लेल किछु सीमा सेहो तय करैत अछि।"

नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री

"संविधान केवल वकीलक दस्तावेज नहि अछि, ई जीवनक एक माध्यम अछि आ एकर आत्मा हरदम अवस्थाक भावना अछि।"

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

डॉ. बी. आर. अम्बेडकरक तसवीर

केंद्रीय मंत्रिमंडलक सदस्य, भारतक संविधान पर हस्ताक्षर करैत अछि। तस्वीरमे राजकुमारी अमृत कौर, डॉ. जॉन मथाई आ सरदार वल्लभभाई पटेल देखि रहल छी।

भारतक संविधान 26 नवंबर 1949 केँ अपनाओल गेल छल। ई 26 जनवरी 1950 केँ लागू भेल छल। ओहि दिन विधानसभाक अस्तित्व समाप्त भए गेल छल जखन तक कि 1952 मे नव संसदक गठन नहि भए जायतासंविधानक प्रारूप पर विचार–विमर्श करैत, विधान सभामे कुल 7635 संशोधनमे सँ 2473 संशोधन पर चर्चा आ ओकर निराकरण कएल गेल।

299 सदस्यमे सँ, 284 सदस्य द्वारा यथार्थमे संविधान पर हस्ताक्षर कयलन्हि।

संविधान निर्माणक विभिन्न कार्य करबाक लेल संविधान सभा द्वारा कुल 13 समिति नियुक्त केने छल। एहिमे सँ आठ प्रमुख समिति छल आ अन्य छोट समिति छल।

संविधान सभाक 8 प्रमुख समितिक नाम

- प्रारूप समिति
- संघ अधिकार समिति
- संघक संविधान समिति
- प्रांतीय संविधान समिति
- मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक आ जनजातीय आ बहिष्कृत क्षेत्रक लेल सलाहकार समिति
- प्रक्रिया संमितिक नियम
- राज्य समिति
- संचालन समिति

सरदार वल्लभभाई पटेल 24 जनवरी 1950केँ अपन अंतिम सत्रमे संविधान सभामे शामिल भेलाह।

संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947केँ राष्ट्रीय ध्वज आओर 24 जनवरी 1950केँ राष्ट्रगान आ राष्ट्रीय गीत अपनाओल गेल

आधुनिक भारतीय कलाक प्रणेता श्री नंद लाल बोस द्वारा संविधानक प्रत्येक पृष्ठक सीमाकेँ रूपांकित कएल आ एकरा कलाकृतिसँ अलंकृत कएलन्हि।

श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सुलेख कलाक विशेषज्ञ, संविधानकेँ हाथसँ लिखलन्ह। कार्य पूरा करबामे हुनका 6 महीना लागि गेलन्ह आ ओ ओहिक लेल ओ पैसा नहि लेलन्हि।

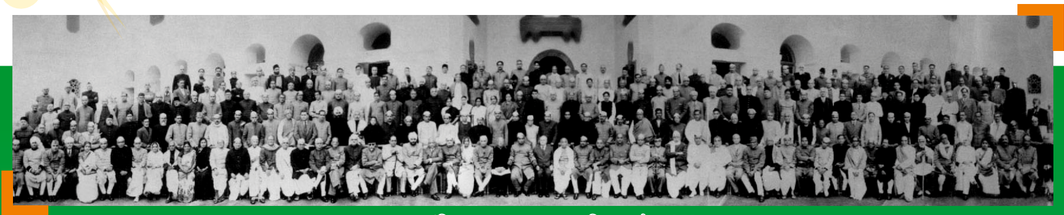

संविधान सभा सदस्यक समूहिक तस्वीर 1950

संविधान सभा आ ओकर प्रमुख सदस्य

मंत्रिमंडल मिशनक अनुशंसाक अनुसार, संविधान सभाक सदस्यकेँ प्रान्तीय विधान सभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावक माध्यमसँ चुनल गेल छल। विधानसभामे 299 सदस्य छल, जाहिमे 229 प्रान्तकक प्रतिनिधित्व करैत छल आ 70 प्रतिनिधित्व वाला राज्य छल।
विधानसभाक किछु प्रमुख सदस्यमे शामिल अछि:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद	आसफ अली	बेगम ऐजाज रसूल	पदमपत सिंघानिया	हरि सिंह गौर
सरदार वल्लभभाई पटेल	श्यामा प्रसाद मुखर्जी	के. एम. मुंशी	पुरुषोत्तमदास टंडन	पंजाबराव एस. देशमुख
जवाहरलाल नेहरू	हंसा मेहता	सर्वपल्ली राधाकृष्णन	सुचेता कृपलानी	रवि शंकर शुक्ल
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	गोपीनाथ बोरदोलोई	अम्मू स्वामीनाथन	हसरत मोहानी	हरेकृष्णा महताब
गोविंद बल्लभ पंत	हरेंद्र कोमार मुकर्जी	एम. अनंतशयनम अयंगार	रफी अहमद किडवाल	एनी मस्कारीन
मौलाना अबुल कलाम आजाद	बिनोदानंद झा	अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर	अनुग्रह नारायण सिन्हा	जीवराज नारायण मेहता
सरोजिनी नायडू	दुर्गाबाई देशमुख	बी. पट्टाभि सीतारमैय्या	जगजीवन राम	मोटूरी सत्यनारायण
राजकुमारी अमृत कौर	फ्रैंक एंथोनी	टी. प्रकाशम	सच्चिदानंद सिन्हा	दीप नारायण सिंह
जे. बी. कृपलानी	जयपाल सिंह मुंडा	एन. संजीवा रेड्डी	सत्यनारायण सिन्हा	सर सैयद मुहम्मद सादुल्ला
सी. राजगोपालाचारी	हरगोविंद पंत	एस. निजलिंगप्पा	श्री कृष्ण सिन्हा	के. कामराज
शरतचंद्र बोस	जॉन मथाई	जी. वी. मावलंकर	सेठ गोविंद दास	पी. सुब्बारायण

I beg to move, Sir,

"That it be resolved that:

(1) After the last stroke of midnight, all members of the Constituent Assembly present on this occasion do take the following pledge:

'At this solemn moment when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, ... a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people to the end that this ancient land attain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind.'

(2) Members who are not present on this occasion do take the pledge (with such verbal changes as the President may prescribe) at the time they next attend a session of the Assembly."

संविधान सभाक सदस्य द्वारा प्रतिज्ञा।

नागरिक आ मौलिक कर्तव्य

हमर संविधानक एक आवश्यक विशेषता

"अधिकार कर्तव्यक नीक प्रदर्शन केलक अछि।"

महात्मा गांधी

भारत सरकार भारतीय नागरिक आ मौलिक कर्तव्य (26 नवंबर 2019 सँ 26 नवंबर 2020) बारेमे अधिक जागरूकता आनबाक लेल सभ भारतीय नागरिक तक पहुँच रहल अछि।

प्रमुख उद्देश्य

- भारतक लोगकेँ ई कहबाक अछि कि ओ संविधानक यथार्थ संरक्षक छथि आ ओहिमे निहित मूल्य आ सिद्धांत अछि।
- सभ नागरिककेँ संगी नागरिक, समाज आ राष्ट्रक प्रति ओकर कर्तव्यक बारेमे मोन पड़बाक अछि।
- नागरिककेँ राष्ट्रक भावना पर गर्व करेबक लेल प्रोत्साहित करब।
- राष्ट्रक प्रति अनुशासन आ प्रतिबद्धताक भावनाकेँ बढ़ेबामे मदद करब आ राष्ट्र निर्माणमे नागरिककेँ प्रोत्साहित करब।

मौलिक कर्तव्य—महत्व आ परिवर्धन

"हम अपन माँक कोरामे अपन कर्तव्यकेँ सीखलहुँ अछि। ओ एक अशिक्षित गाँवक महिला छलीह ... ओ हमर धर्म जानैत छलीह। एहि प्रकारे यदि हमर बचपनसँ हम सीखैत छी कि हमर धर्म कि अछि आ एकर पालन करबाक कोशिश करू कि अधिकारक देखरेख स्वयं करू ... एकर सौंदर्य ई अछि कि एक कर्तव्यक प्रदर्शन हमरा हमर अधिकार सुरक्षित प्रदान करैत अछि। अधिकारकेँ कर्तव्यसँ तलाक नहि देल जा सकैछ। एहि तरहेँ सत्याग्रहक जन्म भेल, कियैकि हम हरदम ई तय करबाक प्रयास कए रहल छलहुँ कि हमर कर्तव्य कि अछि''।"

28 जून 1947 के दिल्लीमे एक प्रार्थना सभामे मौलिक कर्तव्यक महत्व पर महात्मा गांधी

हमर संविधानमे 11 मौलिक कर्तव्यकेँ शामिल करबाक पाछु मुख्य विचार नागरिकक दायित्वक पालन करब छल, ताकि ओकरा द्वारा प्राप्त व्यापक अधिकारक बदलामे नागरिकक दायित्वक पालन कएल जा सके।

मौलिक कर्तव्य, सम्मान, गर्व, सहिष्णुता, शांति, विकास आ सद्भावक प्रमुख मूल्य पर ध्यान केंद्रित करैत अछि।

संविधानमे 1976 मे 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत, मौलिक कर्तव्य द्वारा नागरिकक मौलिक, नैतिक आ अनिवार्य कर्तव्यकेँ राष्ट्रक सामने राखल गेल।

मौलिक कर्तव्यक सम्मिलनक सिफारिश करैत एक समितिक गठन कएल गेल छल जाहिमे ई सुनिश्चित करबाक लेल कदम उठाओल जेबाक आवश्यकता छल कि नागरिक अपन मौलिक अधिकारक प्रयोग करैत समय अपन कर्तव्यक अनदेखी नहि करए।

बच्चाक लेल शिक्षाक अवसरसँ संबंधित 11वाँ मौलिक कर्तव्यकेँ संविधानमे 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ल गेल।

मौलिक कर्तव्यक प्रेरणा यूएसएसआर, जापान आ चीनक संविधानसँ लेल गेल छल

हमर मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन पद्धतिकेँ बढ़ावा देबाक लेल कर्तव्यक एक संहिताकरण अछि। ओ समाजक प्रति अनुशासन आ प्रतिबद्धताक भावनाकेँ बढ़ावा दैत अछि।

मौलिक कर्तव्यक उद्देश्य प्रत्येक नागरिककेँ एक निरंतर अनुस्मारकक रूपमे सेवा देबाक अछि, जखनकि संविधान द्वारा विशेष रूपसँ ओकरा किछु मौलिक अधिकारसँ सम्मानित कएल गेल अछि, एकरा लेल नागरिककेँ लोकतांत्रिक आचरण आ लोकतांत्रिक व्यवहारक किछु बुनियादी मानदंडक पालन करबाक आवश्यकता अछि कियैकि अधिकार आ कर्तव्य सह–सापेक्ष अछि।

"लोकतंत्र केवल सरकारक एक रूप नहि अछि ... ई अनिवार्य रूपसँ हमर संगी पुरुषक प्रति सम्मान आ श्रद्धाक दृष्टिकोण अछि"

डॉ. बी. आर अम्बेडकर

"प्रत्येक भारतीयके आब ई बिसरि जेबाक चाही कि ओ एक राजपूत, एक सिख वा एक जाट अछि। ओकरा मोन रखना चाही कि ओ एक भारतीय अछि आ ओकरा अपन देशमे किछु अधिकार छै लेकिन किछु कर्तव्यक संग"।

– सरदार वल्लभभाई पटेल

नागरिक आ मौलिक कर्तव्य सक्रिय भागीदारीक माध्यमसँ हमर राष्ट्रीय लक्ष्यकेँ साकार करबामे हमर मदद कए सकैत अछि।

अक्टूबर 1999 मे, जस्टिस वर्माक अध्यक्षता वाला एक समिति द्वारा देशक नागरिककेँ मौलिक कर्तव्य सिखेबाक लेल सुझाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कएल।

नागरिक कर्तव्यक प्रति जागरूक रहू

- भारतक संविधानक प्रस्तावना पढ़ू, ऑनलाइन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करू आ MyGov.in पर तत्काल प्रमाण–पत्र प्राप्त करू
- ऑनलाइन संविधान दिवस प्रश्नोत्तरी आ MyGov.in पर निबंध प्रतियोगितामे भाग लिअ
- Www.doj.gov.inxÉð विज्ञापन, विवरणिका आ अन्य बेसी–सँ–बेसी सामग्री डाउनलोड करू

"हम अहाँसँ आग्रह करैत छी कि अहाँ कम–सँ–कम एक संकल्प ली आ राष्ट्रक प्रति अपन कर्तव्य आ अपन दायित्वक बारेमे सोचि। कर्तव्य पथ पर चलैत 130 करोड़क प्रयास आ 130 करोड़क संकल्पक ताकत देशक लेल बहुत किछु कए सकैत अछि।''

नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री
स्वच्छ भारत दिवस 2019

@DoJ_India आ @MyGov पर हमरा अनुशरण करू। #Itsmyduty सँ जुड़ू

भारतक संविधान आ मौलिक कर्तव्यक पूरा पाठ देखू
http://legislative.gov.in/consteration-of-india

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India
सत्यमेव जयते

संविधानमे ग्यारह कर्तव्य (भाग IV-A, अनुच्छेद 51A)

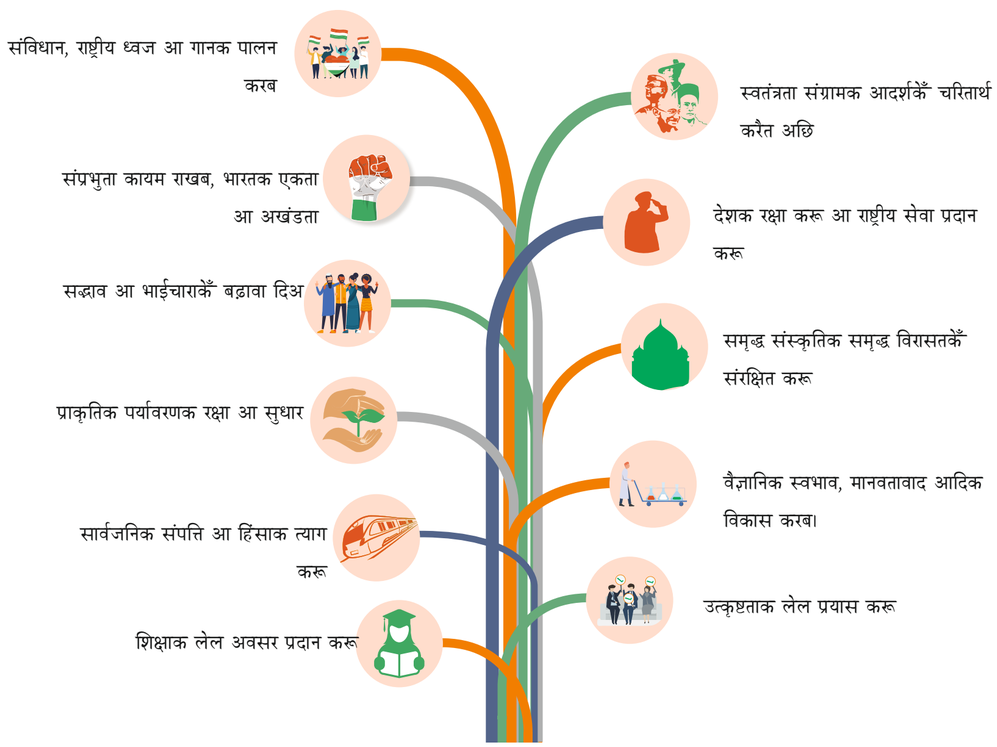

हमर संविधानमे मौलिक कर्तव्यक समावेश द्वारा एकरा मानव अधिकारक सार्वभौमिक घोषणाक अनुच्छेद 29(1) क संग जोड़ि देल अछि।

"हमरा जीबाक अधिकार केवल तखने मिलैत अछि जखन हम दुनियाक नागरिकताक कर्तव्य निभवैत छी। एहि एक मौलिक कथनसँ, शायद ई पुरुष आ महिलाक कर्तव्यकेँ परिभाषित करबाक लेल बहुत आसान अछि, आ पहिने कैल जाए वाला किछु एहि तरहक कर्तव्यक लेल प्रत्येक अधिकारकेँ सहसंबंधित करब। प्रत्येक दोसर अधिकारक लेल शायदे लड़बाक लायक दिखाओल जाए''

महात्मा गांधी।

मौलिक कर्तव्य आ अधिकार एक्के सिक्काक दू पहलू अछि।

महात्मा गांधी द्वारा कहल गेल अछि कि कर्तव्यक स्रोत सही अछि। यदि हम अपन कर्तव्यक निर्वहन करैत छी, तँ अधिकारक तलाश करब दूर नहि होयत।

जखन तक नागरिक अपन मौलिक कर्तव्यक संग अपन मौलिक अधिकारक प्रशंसा नहि करब तखन तक लोकतंत्र समाजमे अपन मजबूत आधार स्थापित नहि कए सकैत अछि।

प्रत्येक अधिकार एकर अनुरूपे कर्तव्य करैत अछि। एक नागरिक कर्तव्यक प्रदर्शन दोसरक अधिकारकेँ सुनिश्चित करैत अछि।

जखन हम अपन कर्तव्य निभवैत छी तँ हम अपन अधिकारक हकदार होइत छी।